न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-139RAAJodhpur2023-86RTA223 Ganpatram Vs Balwantaram etc

गणपतराम पुत्र कानाराम उम्र वर्ष जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. *बलवन्ताराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
2. *बंशीलाल पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
3. *हडमानराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
4. *बीरबलराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
5. *रूपाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
6. *श्रवणकुमार पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
7. *रामेश्वर पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
8. *शंकरलाल पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
9. *सुनिल कुमार पुत्र बलवन्ताराम जरिये कुदरति वलीया माता समदा पत्नी बलवन्ताराम जाति विश्नोई, निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
10. *मांगीलाल पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
11. *सोमराज पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला फलोदी।*
12. *जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा फलोदी।*
13. *तहसीलदार बाप (घटियाली) जिला फलोदी।*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 126/2018 गणपतराम बनाम बलवंताराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक, दो आठ से ग्यारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या बारह

नि र्ण य

दिनांक : 06 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 126/2018 अनवान गणपतराम बनाम बलवंताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2023 कोप्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एकने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 129 रकबा 203.10 बीघा ग्राम मटोल तहसील घंटियाली के संबंध में धारा 53, 188 एवं 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में एक वाद वादी जगराम व खींयाराम के द्वारा प्रतिवादी बीरबलराम व अन्य तथा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 53 आर.टी. एक्ट व धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया गया जो वाद संख्या 87/2002 दर्ज होकर न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 30.11.2005 को आपसी राजीनामा के जरिये डिक्री किया गया तथा जिसके साथ जबावदावा के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क बी. डी. ई. से दर्शाया गया खसरा नम्बर 129 रकबा 203 बीघा 10 बिस्वा में से 101 बीघा 15 बिस्वा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन से पांच केबंट में रखी गई। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा टांका,ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है।पूर्व के निर्णय व डिक्रीकी पालना नही होने पर जमाबंदी में सामलाती खाता था।मौके पर पक्षकारान् के कब्जा-काश्त को बिना देखे तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर आये बिना अपीलांट एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बेबुनियादी तरीके से बनाकर पेश किया गया है, जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भारी विरोध भी किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल होने की वजह से अपीलांट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया तथा हड़ताल खत्म होने के बाद अपीलांट ने अपने वाद की तारीख पेशी की जानकारी हेतु दिनांक 06.04.2023 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 06.04.2023 को दी। जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत नकल का आवेदन किया।दिनांक 12.04.2023 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाीन

निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। इस कारण न्यायहित में उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने में जो देरी हुई है, को क्षम्य किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष की सहमति से जारी की गई तथा अपीलांट के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अपीलांट के अलावा किसी अन्य पक्षकार को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से कोई आपति नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरूआत से ही जानकारी रही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2019(2)RRT 1233, 2017(1)RRT 105की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण जगराम वगैरह द्वारा प्रतिवादीगण बीरबलराम के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 87/2002 को दिनांक 30.11.2005 को जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाना प्रकट होता है। वकील अपीलांट के कथनानुसार उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से रह गया। अपीलाधीन वाद में तलब विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.01.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट को सम्यक रूप से सूचित किये बिना तथा अपीलांट की उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना पूर्व विभाजन के वाद में राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उभय पक्ष की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने

सेअदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से मामले पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायाल यसहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 126/2018 अनवान गणपतराम बनाम बलवंताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्व राजीनामा के तथ्य को ध्यान रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर